**Visit of Central Team to Assam, Bihar and Uttar Pradesh**

298. SHRI SAWAISINGH SISODIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level Central team of Officers has recently visited Assam, Bihar and Uttar Pradesh to assess the situation caused by floods, drought in those States;

(b) whether the team has since submitted its report to Government; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) A Central Team has recently visited Bihar, but no such Team has visited Assam and U.P. so far.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**सरकारी आवास के संबंध में की गई शिकायतों पर बेदखली की कार्यवाही**

299. **श्री डी०के० पटेल :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1974 को समाप्त हुए गत चार वर्षों के दौरान राजधानी की प्रत्येक कालोनी में विभिन्न टाइपो के सरकारी आवास के सम्बन्ध में की गई शिकायतों के आधार पर कितनी-कितनी बेदखली की कार्यवाहियां प्रारम्भ की गईं और कितने मामलों में इन कार्यवाहियों के विरुद्ध रोक आदेश प्राप्त किये गये; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार को कितनी हानि हुई?

†[**Eviction proceedings on complaints regarding Government accommodation**

299. SHRI D. K. PATEL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the number of eviction proceedings started on the basis of complaints in respect of various types of Government accommodations in the Capital during the last four years ending on 31st October, 1974 and the number of proceedings against which stay orders have been obtained; and

(b) if so, the details thereof and the loss suffered by Government on that account?]

**निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) तथा (ख) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, राजधानी में सामान्यपूल के वास को उप-किराये पर देने सम्बन्धी शिकायतों के आधार पर 121 मामलों में बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की गई थी। इन में से 6 मामलों में, अधिकारियों ने सम्पदा अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध रोकादेश ले लिये। सभी छः मामले न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिये गये थे तथा 5 मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों ने या तो वास खाली कर दिया था या उनसे खाली करवा लिया गया था। एक मामले में, सम्बन्धित अधिकारी ने निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई है तथा इस मामले में निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी सामान्यपूल वास को अनधिकृत तौर पर दखल में रखे रहते हैं, उन्हें मार्किट दर पर हर्जाना देना पड़ता है अतः सरकार को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). During the period in question in 121 cases eviction proceedings were started on the basis of complaints in regard to subletting of accommodation in the general pool in the capital. In six of these cases, the officers obtained stay orders against the orders passed by the Estate Officer. All the six cases were dismissed by the Courts and, in five cases, either the persons concerned have vacated the accommodation or

†[ ] English translation.